भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 703

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**संयुक्त डिग्रियां**

**703. श्रीमती वानसुक साइमः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई निजी संस्थानों ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ऐसी संयुक्त डिग्रियां प्रदान करने के लिए समझौता किया है, जिन्हें भारत के शीर्षस्थ शैक्षिक विनियामक निकायों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है;

(ख) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के तहत संस्थानों को विश्वविद्यायों से संबद्ध होना होता है या उन्हें विदेशी शैक्षिक संस्था विनियमन अधिनियम, 2012 का अनुसरण करना होता है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे संस्थानों द्वारा छात्रों को लुभाए जाने के मद्देनजर उन्हें सावधान करने और चेताने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में चेतावनी जारी करने के लिए एआईयू, यूजीसी और एआईसीटीई आदि जैसे विनियामक निकायों को कहेगी?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालय और निजी विश्‍वविद्यालय के बीच कोई संयुक्‍त डिग्री अनुमोदित नहीं की है।

(ख): यूजीसी ने सूचित किया है कि यूजीसी (भारत और विदेशी शिक्षा संस्‍थाओं के बीच अकादमिक सहयोग के मानदंडों का प्रोन्‍नयन और अनुरक्षण) विनियम, 2012 भारतीय उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं के साथ सहयोग, सहभागिता, तालमेल व्‍यवस्‍थाओं के माध्‍यम से विदेशी शैक्षिक संस्‍थान द्वारा प्रदान उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता और मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार किसी भारतीय शैक्षिक संस्‍थान (आईईआई) के लिए यह अनिवार्य है जो विदेशी शैक्षिक संस्‍थान (एफईआई) के साथ सहयोग का इच्‍छुक है, किसी सहयोग सहमति करने से पूर्व संबद्ध विश्‍वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्‍त करेगा।

भारतीय विश्‍वविद्यालय संघ (एआईयू) ने कहा है कि ऐसी विदेशी डिग्रियों को समतुल्‍यता प्रदान करने के लिए जिसे भारत में अध्‍ययन करने हेतु अवार्ड दिया गया है, में एआईयू नीति के अनुसार यूजीसी विनियम और/अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दिशा-निर्देशों का शैक्षिक संस्‍थान द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है।

 विदेशी शैक्षिक संस्‍थान विनियम अधिनियम, 2012 के पालन का प्रश्‍न नहीं उठता क्‍योंकि ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है।

(ग): यूजीसी, एआईसीटीई और एआईयू छात्रों के हितों के सुरक्षोपाय हेतु शैक्षिक कदाचार का संज्ञान लेने और परामर्शी जारी करने के लिए सक्षम है।

\*\*\*\*\*